पंजीकृत संख्या-यू0ए0/डी0एन0-30/2008-09
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–9] रुड़की, शनिवार, दिनांक 24 मई, 2008 ई0 (ज्येष्ठ 03, 1930 शक सम्वत्) [संख्या–21

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	—	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	253–257	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	121–122	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	—	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	—	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	—	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	—	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	—	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	—	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	19–22	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	—	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

श्रम विभाग

विज्ञप्ति/नियुक्ति

08 मई, 2008 ई०

संख्या 2041/VIII/08–02–कराबीयो/2007–अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत एलोपैथिक चिकित्साधिकारी (पुरुष/महिला) के पदों पर लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड, हरिद्वार द्वारा वर्ष 2008–09 में किये गये चयन के फलस्वरूप की गई संस्तुति के आधार पर श्री राज्यपाल संलग्न सूची में उल्लिखित अभ्यर्थियों को कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत वेतनमान रु० 8000–275–13500 में चिकित्साधिकारी के पद पर निम्न शर्तों के साथ अस्थाई रूप से नियमित नियुक्त करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(1) संबंधित अभ्यर्थी को संलग्न सूची में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–6 में दर्शाये गये स्थान में तैनात किया जाता है, परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि चरित्र सत्यापन एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन के पश्चात् उनका चरित्र एवं पूर्ववृत्त सेवा में नियुक्ति हेतु उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो उनकी यह नियुक्ति उत्तराखण्ड अस्थायी सरकारी सेवक (सेवा समाप्ति) नियमावली, 2003 के प्राविधानों के अनुसार निरस्त कर दी जायेगी।

(2) इन अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण मण्डलीय मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा और उक्त बोर्ड द्वारा स्वस्थ घोषित किये जाने के उपरान्त ही उन्हें कार्यभार ग्रहण कराने दिया जायेगा। अभ्यर्थी अपने नियुक्ति पत्र सहित अपनी तैनाती के मण्डल के अपर निदेशक से सम्पर्क कर स्वास्थ्य परीक्षण हेतु उपस्थित होंगे। अपर मण्डलीय निदेशक द्वारा मण्डलीय मेडिकल बोर्ड से वांछित परीक्षण कराकर अभ्यर्थी का स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र संबंधित अधिकारी को उपलब्ध करा दिया जायेगा, किन्तु मेडिकल बोर्ड द्वारा अस्थाई रूप से अयोग्य घोषित किये गये अभ्यर्थी का प्रकरण राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य परीक्षण कराये जाने हेतु शासन को संदर्भित किया जायेगा।

(3) नियुक्त अधिकारी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय–समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ते तथा अन्य भत्ते भी देय होंगे। उत्तराखण्ड सरकार चिकित्सक (एलोपैथिक) प्राइवेट प्रेक्टिस पर उत्तर प्रदेश निर्बंधन नियमावली, 1983 के अन्तर्गत प्राईवेट प्रेक्टिस की अनुमति नहीं होगी और नियमानुसार प्रेक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा।

(4) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा, जिसे राज्य सरकार के नियमानुसार बढ़ाया भी जा सकता है।

(5) नवनियुक्त अभ्यर्थी दिनांक 15–05–2008 के पूर्व अपने पद का कार्यभार अवश्य ग्रहण कर लें। इस अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती हेतु निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा, उत्तराखण्ड, देहरादून के समक्ष उपस्थित होंगे तथा प्रस्तर–1(7) में अंकित सभी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि वे इस अवधि के भीतर अपनी तैनाती हेतु, निदेशक को अपनी योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन समाप्त हो जायेगा।

(6) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण हेतु अभ्यर्थी को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(7) अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण से पूर्व निम्न प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने होंगे :–

(I) अभियोजन न चलाये जाने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के संबंध में एक घोषणा–पत्र (संलग्न प्रारूप–1 में दस रुपये के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित)।

(II) उत्तराखण्ड मेडिकल काउन्सिल द्वारा किये गये स्थायी रजिस्ट्रेशन की दो प्रतियां।

(III) ऑप्थ एलीजियन्स का प्रमाण–पत्र (संलग्न प्रपत्र–II)।

(IV) गोपनीयता का प्रमाण–पत्र (संलग्न प्रपत्र–III)।

(V) चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण–पत्र (संलग्न प्रपत्र–IV)।

(VI) लिखित रूप से एक अन्डरटेकिंग कि यदि चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन के पश्चात् उन्हें सरकारी सेवा के लिए उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो उनकी यह नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी, जिसके लिए वे किसी क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं होंगे।

(VII) एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने का घोषणा-पत्र (संलग्न प्रपत्र-V)।

(VIII) गढ़वाल/कुमायूँ के मण्डलीय मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण-पत्र।

(IX) शैक्षिक योग्यता, आयु, स्थायी निवास एवं जाति से संबंधित प्रमाण-पत्रों की एक-एक प्रमाणित प्रतियां, उनके सत्यापन हेतु समस्त मूल प्रमाण-पत्र।

(X) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र जो सक्रिय सेवा में हों और उनके निजी जीवन से पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके संबंधी या रिश्तेदार न हों।

(XI) केन्द्र/राज्य सरकार के अधीन की गयी सेवाओं का अद्यतन घोषणा-पत्र।

2-कर्मचारी राज्य योजना विभाग के अन्तर्गत उक्त अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता लोक सेवा आयोग से प्राप्त वरिष्ठता क्रम के आधार पर सुसंगत नियमों के अनुसार अवधारित की जायेगी।

शासनादेश संख्या 2041(1)/VIII/08-02-करबीयो/2007, दिनांक 8-5-08 का संलग्नक

क्र० सं०	अभ्यर्थी का नाम	गृह जनपद	स्थायी पता	पत्र व्यवहार का पता	तैनाती स्थान
1	2	3	4	5	6
1.	आकाश दीप	उत्तरकाशी	III/18, पी०डब्लू०डी० कॉलोनी, एन०आई०एम० रोड, निकट झूलापूल, जोशीयाड़ा, उत्तरकाशी	III/18, पी०डब्लू०डी० कॉलोनी, एन०आई०एम० रोड, निकट झूलापूल, जोशीयाड़ा, उत्तरकाशी	क०रा०बी० औषधालय, मसूरी, जनपद देहरादून
2.	अनु अग्रवाल	पौड़ी	मैसर्स दुर्गा ट्रेडर्स, मालगोदाम रोड, कोटद्वार, जिला पौड़ी गढ़वाल	मैसर्स दुर्गा ट्रेडर्स, मालगोदाम रोड, कोटद्वार, जिला पौड़ी गढ़वाल	क०रा०बी० औषधालय, सिडकुल, हरिद्वार
3.	भारत भूषण	काशीपुर (ऊधमसिंह नगर)	मकान नं० 1146, गिरीताल वार्ड-9, शिवनगर कॉलोनी, मोहल्ला-कटोराताला, काशीपुर (ऊधमसिंह नगर)	शिव क्लीनिक, अगलगा रोड, तहसील स्वार, जिला रामपुर (उत्तर प्रदेश)	क०रा०बी० औषधालय, रुद्रपुर (ऊधमसिंह नगर)
4.	राकेश रावत	पौड़ी (वर्तमान प्रेमनगर, देहरादून)	ग्राम-निसाणी, पट्टी-बिछोलस्यूं, पो०ऑ०-निसणी (वाया पाबौ), जिला पौड़ी गढ़वाल	48-पंडितवाड़ी (फेज-2) पो०ऑ०-प्रेमनगर, देहरादून	क०रा०बी० औषधालय, ऋषिकेश, जनपद देहरादून
5.	शशांक श्रीवास्तव	देहरादून	57 क्रॉस-8, तपोवन एनक्लेव, पो०ऑ० तपोवन (वाया रायपुर), जिला देहरादून	57 क्रॉस-8, तपोवन एनक्लेव, पो०ऑ० तपोवन (वाया रायपुर), जिला देहरादून	क०रा०बी० औषधालय, भगवानपुर, जनपद हरिद्वार
6.	पूनम वर्मा	रुड़की, हरिद्वार	518-MIG आवास विकास, रुड़की, जिला हरिद्वार	518-MIG आवास विकास, रुड़की, जिला हरिद्वार	क०रा०बी० औषधालय, रुड़की, जनपद हरिद्वार
7.	राजेश मोहन सकलानी	टिहरी गढ़वाल	पडियार गांव, हाल नई टिहरी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल	A-48 कुलाणा मार्केट, नई टिहरी, जिला टिहरी गढ़वाल	क०रा०बी० औषधालय, सेलाकुई (देहरादून)।

आज्ञा से,

अंजली प्रसाद,
सचिव।

संख्या–239/XV–1/1(25)/2005

प्रेषक,

अमरेन्द्र सिन्हा,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उत्तराखण्ड, गोपेश्वर चमोली।

पशुपालन अनुभाग–1 देहरादून : दिनांक 09 मई, 2008

विषय–पशुपालन निदेशालय में सांख्यिकीय इकाई की स्थापना हेतु सृजित पदों की निरन्तरता की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–54/XV–1/1(25)/2005, दिनांक 16 अप्रैल, 2007 एवं अपर निदेशक, पशुपालन के पत्र संख्या–72/स्था०–एक/निरन्तरता/2007–08, दिनांक 6 अप्रैल, 2008 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय पशुपालन विभाग के अन्तर्गत सांख्यिकीय सैल की स्थापना हेतु निम्नांकित 29 अस्थाई पदों की दिनांक 28 फरवरी, 2009 तक बशर्ते कि इससे पूर्व इन्हें समाप्त न कर दिया जाए, चलते रहने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

क्र०सं०	पदनाम	वेतनमान (रुपया)	पदों की संख्या	पद स्थापना का स्थान
1.	उप निदेशक, सांख्यिकी एवं नियोजन	10000–325–15200	01	निदेशालय हेतु
2.	संख्याविद	8000–275–13500	01	उक्त
3.	संख्या सहायक/निरीक्षक	5500–175–9000	04	उक्त
4.	संगणक/डाटा इन्ट्री ऑपरेटर	3050–75–4590	04	उक्त
5.	निरीक्षक	4500–125–7000	01	उक्त
6.	अन्वेषक–कम–संगणक	5000–150–8000	18	13 पद जनपदों हेतु 5 पद मुख्यालय हेतु
		योग	29	

2–उक्त पद धारकों को राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते भी प्राप्त होंगे।

3–इस संबंध में होने वाला व्यय वालू वित्तीय वर्ष 2008–09 के आय व्ययक में लेखाशीर्षक–2403–पशुपालन आयोजनागत–113–प्रशासनिक अन्वेषण तथा सांख्यिकीय–01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–0102–पशुपालन सांख्यिकी–प्रकोष्ठ–(50 प्रतिशत केन्द्र सहायता) के सुसंगत मदों के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

4–यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिहित किये गये अधिकारों के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

अमरेन्द्र सिन्हा,
सचिव।

श्रम विभाग

अधिसूचना

13 मई, 2008 ई०

संख्या 2046/VIII/331–श्रम/02–उत्तराखण्ड दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962 (अधिनियम संख्या 28, सन् 1962) की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तराखण्ड के समस्त ऐसे दुकानों और वाणिज्य अधिष्ठानों जहां छावनी परिषद् सामान्य निर्वाचन, 2008 के सम्बन्ध में मतदान किया जाना है, को मतदान के वास्तविक दिन अर्थात् दिनांक 18 मई, 2008 के लिए उक्त अधिनियम की धारा 8 के उपबन्धों के प्रवर्तन में इस शर्त के अधीन लोक हित में छूट प्रदान करते हैं कि यदि मतदान का वास्तविक दिन इस क्षेत्र में, जिसमें कोई दुकान या वाणिज्य अधिष्ठान स्थित है, ऐसी दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान द्वारा मनाई जाने वाली सामान्य साप्ताहिक छुट्टी का दिन नहीं है, तो मतदान का वास्तविक दिन बन्दी दिवस के रूप में मनाया जायेगा।

आज्ञा से,

अंजली प्रसाद,
सचिव।

प्रशिक्षण एवं सेवायोजन विभाग

शुद्धिपत्र

13 मई, 2008 ई०

संख्या 2087/VIII/08–52–प्रशि०/2007–प्रशिक्षण सेवा श्रेणी–2 के पद के लिए चयनित श्री उदयराज सिंह पुत्र श्री जगदीश प्रसाद, रुड़की, जिला हरिद्वार के नियुक्ति/तैनाती सम्बन्धी शासनादेश संख्या: 2031/VIII/08–52–प्रशि०/2007, दिनांक 07–05–2008 को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

2–श्री उदयराज सिंह के प्रधानाचार्य श्रेणी–2 के पद पर नियुक्ति/तैनाती सम्बन्धी मूल शासनादेश संख्या : 1578/VIII/52–प्रशि०/2007, दिनांक 12 दिसम्बर, 2007 के प्रस्तर–7 में निम्नवत् आंशिक संशोधन किया जाता है :–

"प्रशिक्षण के उपरान्त श्री उदयराज सिंह की तैनाती प्रधानाचार्य श्रेणी–2 के पद पर राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, तपोवन, जनपद चमोली में की जाती है।"

3–उक्त शासनादेश की अन्य सभी शर्तें यथावत् रहेंगी।

13 मई, 2008 ई०

संख्या 2088/VIII/08–5–प्रशि०/2007–प्रशिक्षण सेवा श्रेणी–2 के पद के लिए चयनित श्री पंकज कुमार पुत्र श्री धनीराम, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश के नियुक्ति/तैनाती सम्बन्धी शासनादेश संख्या : 2030/VIII/08–5–प्रशि०/2007, दिनांक 07–05–2008 को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

2–श्री पंकज कुमार के प्रधानाचार्य श्रेणी–2 के पद पर नियुक्ति/तैनाती सम्बन्धी मूल शासनादेश संख्या : 1516/VIII/5–प्रशि०/2007, दिनांक 03 जनवरी, 2008 के प्रस्तर–7 में निम्नवत् आंशिक संशोधन किया जाता है :–

"प्रशिक्षण के उपरान्त श्री पंकज कुमार की तैनाती प्रधानाचार्य श्रेणी–2 के पद पर राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, देवाल (चमोली) में की जाती है।"

3–उक्त शासनादेश की अन्य सभी शर्तें यथावत् रहेंगी।

सुव्रत विश्वास,
सचिव।

पी०एस०यू० (आर०ई०) 21 हिन्दी गजट/351–भाग 1–2008 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ए0–30/2006–08
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 24 मई, 2008 ई0 (ज्येष्ठ 03, 1930 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

May 14, 2008

No. 95/UHC/XIV/32/Admin. A--Sri Ramesh Chandra Kukreti, District & Sessions Judge, Chamoli, is hereby sanctioned earned leave for 12 days *w.e.f.* 15.04.2008 to 26.04.2008.

By Order of the Court,
Sd/-
V. K. MAHESHWARI,
Registrar General.

कार्यालय, चकबन्दी संचालक, उत्तराखण्ड, देहरादून

विज्ञप्ति

28 अप्रैल, 2008 ई0

संख्या 2801/1–19/चक0सं0/2008–उत्तराखण्ड शासन, राजस्व विभाग के शासन विभाग, देहरादून के शासनादेश संख्या–613/16(1)/2008, दिनांक 26–3–2008 के क्रम में उत्तराखण्ड/उत्तर प्रदेश चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम–5, 1954 ई0) की धारा–6 की उपधारा (1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या–8313/ए–813/1954, दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथाप्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मैं, कुंवर राज कुमार, चकबन्दी संचालक, उत्तराखण्ड, जनपद ऊधमसिंह नगर की तहसील किच्छा के निम्न ग्राम के सम्बन्ध में उपर्युक्त अधिनियम की धारा–4(2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या–393/मु0रा0आ0/04(2)/06, दिनांक 16–6–2004 एवं संशोधित शुद्धिपत्र संख्या–50/मु0रा0आ0 (चक0अनु0)/04(2)/06, दिनांक 27–6–2004 को चकबन्दी प्रक्रिया से पृथक करते हुए इस ग्राम की विज्ञप्ति को एतद्द्वारा निरस्त करता हूं :–

जिला	तहसील	परगना	ग्राम
ऊधमसिंह नगर	किच्छा	रुद्रपुर	रुद्रपुर (देहात)

कुंवर राज कुमार,
चकबन्दी संचालक,
उत्तराखण्ड, देहरादून

कार्यालय, आयुक्त कर, उत्तराखण्ड

(फार्म अनुभाग)

विज्ञप्ति

24 अप्रैल, 2008 ई0

पत्रांक 213/आयु0क0उत्तरा0/फार्म–अनु0/2008–09/आ0घो0प0/खोया/चोरी/नष्ट हुए/दे0दून– उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर नियमावली, 2005 के नियम–30 (12) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके, मैं, अपर आयुक्त, वाणिज्य कर उत्तराखण्ड, निम्नलिखित सूची में उल्लिखित आयात घोषणा पत्र (प्ररूप–XVI) जिनके खो जाने/चोरी हो जाने अथवा नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में नियम–30 के उपनियम (9) के अन्तर्गत सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, को तत्कालिक प्रभाव से अवैध घोषित करता हूं :–

क्रम संख्या	व्यापारी का नाम व पता	खोये/चोरी/नष्ट हुए फार्मों की संख्या	खोये/चोरी/नष्ट हुए फार्मों का क्रमांक
1.	सर्वश्री अम्बर इलैक्ट्रिकल्स, काशीपुर (ऊधमसिंह नगर)	आयात घोषणा पत्र (प्ररूप–XVI)–04	U.K. VAT-A2007 (क्रमांक 783070 से 783073 तक)

वी0 के0 सक्सेना,
अपर आयुक्त, वाणिज्य कर,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

26 अप्रैल, 2008 ई0

पत्रांक 241/आयु0क0उत्तरा0/फार्म–अनु0/2008–09/केन्द्रीय फार्म–C/खोया/चोरी/नष्ट हुए/दे0दून– केन्द्रीय बिक्रीकर (उत्तराखण्ड) नियमावली–2006 के नियम–8 के उपनियम–13 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके मैं आयुक्त कर, उत्तराखण्ड निम्नलिखित सूची में उल्लिखित "फार्म–सी" जिनके खो जाने/चोरी हो जाने अथवा नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, को सार्वजनिक प्रकाशनार्थ अनुमति प्रदान करते हुए इन फॉर्म्स के प्रयोग को अवैध घोषित करता हूं :–

क्रम संख्या	व्यापारी का नाम व पता	खोये/चोरी/नष्ट हुए फार्मों की संख्या	खोये/चोरी/नष्ट हुए फार्मों का क्रमांक
1.	सर्वश्री अम्बर इलैक्ट्रिकल्स, काशीपुर (ऊधमसिंह नगर)	फार्म–सी–01	U.K. VAT/C-2007(006601)
2	सर्वश्री पी0जी0 इन्टरनेशनल, रायपुर, इण्डस्ट्रियल एरिया, भगवानपुर, रुड़की, हरिद्वार	फार्म–सी–03	U.A/C-2005 (087706) U.K. VAT/C-2007 (046507) से (046508)

एल0 एम0 पन्त,
आयुक्त, कर,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 21 हिन्दी गजट/351–भाग 1–क–2008 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकृत संख्या–यू०ए०/डी०एन०–30/2006–08
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 24 मई, 2008 ई० (ज्येष्ठ 03, 1930 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

नगरपालिका परिषद्, नैनीताल

विज्ञप्ति

25 मार्च, 2008 ई०

नगरपालिका परिषद्, नैनीताल सीमान्तर्गत समस्त सार्वजनिक मार्गों/नाले/नालियों में कूड़ा करकट, कचरा, बिल्डिंग, मलवा आदि को विनियमित एवं नियंत्रण हेतु धारा 298 उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 के अन्तर्गत बनायी गयी प्रस्तावित उपविधि

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार एवं प्रारम्भ–

विज्ञप्ति सं० 1813/XV–2(a)–(i) यह उपविधि सफाई/स्वच्छता विनियमित एवं नियंत्रण उपविधि कहलायेगी।

(ii) यह उपविधि नगरपालिका परिषद्, नैनीताल सीमान्तर्गत प्रवृत्त होगी।

(iii) यह उपविधि उत्तराखण्ड राज्य के शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

2. परिभाषाएं–

विषय या प्रसंग से कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस उपविधि में–

(i) "शासन" से तात्पर्य उत्तराखण्ड शासन से है।

(ii) "अधिनियम" से तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 एवं उत्तराखण्ड राज्य द्वारा समय–समय पर यथा संशोधित प्रभावी अधिनियम से है।

(iii) "अधिशासी अधिकारी" से तात्पर्य शासन/निदेशालय शहरी विकास अथवा मण्डलायुक्त अथवा जिलाधिकारी द्वारा नगरपालिका परिषद्, नैनीताल में तैनात अधिशासी अधिकारी से है।

(iv) "अध्यक्ष" से तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, नैनीताल के निर्वाचित अध्यक्ष से है।

(v) "प्रशासक" से तात्पर्य शासन द्वारा अतिक्रमित अवधि में नगरपालिका परिषद् नैनीताल में नियुक्त प्रशासक से है।

(vi) "मुख्य सफाई एवं खाद्य निरीक्षक एवं सफाई एवं खाद्य निरीक्षकों" का तात्पर्य शासन/निदेशालय शहरी विकास अथवा मण्डलायुक्त अथवा जिलाधिकारी द्वारा नगरपालिका परिषद्, नैनीताल में तैनात सफाई निरीक्षकों से है।

(vii) "सफाई कर्मचारी" से तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, नैनीताल द्वारा तैनात सफाई कर्मचारी से है।

(viii) "सफाई नायक" से तात्पर्य क्षेत्रवार सफाई के पर्यवेक्षण हेतु क्षेत्रवार तैनात सफाई नायक से है।

(ix) "कार्यपालक मजिस्ट्रेट" से तात्पर्य जिला मजिस्ट्रेट, नैनीताल के अधीन उनके आदेश से नगरपालिका परिषद्, नैनीताल के क्षेत्रान्तर्गत सफाई पर्यवेक्षण एवं अर्थ दण्ड वसूली हेतु समय–समय पर तैनात किये गये कार्यकारी मजिस्ट्रेट से है।

(x) "लेक वार्डन" से तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों/विद्यार्थियों से है जिनको आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल अपने विवेक से नामित करेंगे परन्तु ऐसे व्यक्ति/विद्यार्थी लेक वार्डन नामित होने के योग्य नहीं होंगे जो किसी राजनैतिक दल से किसी भी प्रकार से सम्बन्धित हो या उनके विरुद्ध किसी भी स्तर का कोई भी आपराधिक मामला कभी दर्ज हुआ हो।

परन्तुक–इस प्रकार नामित लेक वार्डनों को कोई वेतन या भत्ता आदि देय नहीं होगा और न ही वह भविष्य में किसी प्रकार का कोई क्लेम उक्त के लिए कर सकेंगे तथा यह पद नितांत अस्थायी होगा व आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल कभी भी किसी भी लेक वार्डन को उसके पद से बिना पूर्व सूचना के हटा सकते हैं।

(xi) "कन्टेनर" से तात्पर्य नगरपालिका, नैनीताल द्वारा सीमान्तर्गत नियत स्थानों पर रखे गये डस्टबिन जिनमें कूड़ा करकट डालने हेतु रखे गये उपकरण से है।

(xii) "हाइड्रोलिक वाहन" से तात्पर्य नगरपालिका, नैनीताल के उस वाहन से है जो कूड़ा करकट से भरा कन्टेनर निस्तारण हेतु ले जाता है और निस्तारण उपरान्त पुनः नियत स्थान पर रखता है।

(xiii) ऐसे शब्दों एव पदों को जिन्हें इस उपविधि में परिभाषित नहीं किया गया है किन्तु उपविधि में प्रयुक्त हैं, के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उसके लिए दिये गये हैं।

3. प्रतिषेध–

(i) कोई भी व्यक्ति नगरपालिका, नैनीताल की सीमान्तर्गत इस उपविधि के उपबन्धों के अधीन समस्त सार्वजनिक स्थलों, सार्वजनिक मार्गों, नाले, नालियों तथा झील व झील के किनारे किसी प्रकार का कूड–करकट, मलवा तथा किसी भी प्रकार गन्दगी आदि नहीं डालेगा और न ही इस प्रकार की गन्दगी डालकर किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न करेगा।

(ii) नगरपालिका, नैनीताल सीमान्तर्गत कोई भी भूमि अथवा भवन स्वामी/अध्यासी अथवा कोई भी व्यवसायी कूड़ा–करकट, बिष्ठा, मलवा आदि किसी भी सार्वजनिक स्थलों, सार्वजनिक मार्गों पर अथवा उसके किनारे नाले–नालियों पर अथवा झील व झील के किनारे नहीं फेकेगा और न ही एकत्र करेगा। नगरपालिका के द्वारा रखे गये कन्टेनर के अन्दर कूड़ा–करकट डालना होगा तथा किसी भी प्रकार का परेलू मलवा नगरपालिका की सीमा से बाहर भूमि अथवा भवन स्वामी को अपने व्यय पर फेकना होगा।

(iii) कन्टेनर से बाहर कूड़ा–करकट डालने वाले व्यक्ति तथा सार्वजनिक स्थलों, सार्वजनिक मार्गों तथा नाले–नालियों में कूड़ा–करकट या गन्दगी डालने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध मुख्य सफाई निरीक्षक, सफाई निरीक्षक, सफाई नायक, सफाई कर्मचारी की रिपोर्ट प्राप्त होने पर अधिशासी अधिकारी तथा कार्यपालक मजिस्ट्रेट को उस व्यक्ति से नियमानुसार अर्थ दण्ड वसूलने का अधिकार होगा जो नगरपालिका परिषद्, नैनीताल की निधि में जमा किया जायेगा।

(iv) कूड़ा कन्टेनर नियत स्थान से हाइड्रोलिक वाहन द्वारा प्रत्येक दिवस निस्तारित किया जायेगा जिसका निरीक्षण प्रत्येक दिवस सफाई निरीक्षक द्वारा किया जायेगा।

(v) नगरपालिका, नैनीताल सीमान्तर्गत इन उपविधियों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आयुक्त, कुमाऊ मण्डल द्वारा नामित लेक वार्डनों का सहयोग लिया जायेगा। झील व झील के किनारे जिसमें माल रोड व ठण्डी सड़क भी सम्मिलित है, में कूड़ा–करकट या गन्दगी डालते हुए पाये जाने पर ऐसे लेक वार्डनों को ऐसे व्यक्ति से रु0 250/– (रुपयो दो सौ पचास मात्र) अर्थ दण्ड मौके पर ही वसूलने का अधिकार होगा जिसकी रसीद वह अपने हस्ताक्षरों से निर्गत कर सकेंगा। यदि मौके पर कोई व्यक्ति रु0 250/– अर्थ दण्ड देने से इन्कार करता है तो उसके विरुद्ध चालान कर रु0 1000/– तक अर्थ दण्ड और निरन्तर उल्लंघन की दशा में अतिरिक्त जुर्माना जो प्रथम दोषसिद्ध होने की तिथि के पश्चात् प्रत्येक ऐसे दिवस के लिए जिससे यह साबित हो जाय कि अपराधी ने अपराध जारी रखा है, रु0 25/– प्रति दिन तक हो सकता है।

परन्तुक–लेक वार्डनों द्वारा मौके पर वसूले गये अर्थ दण्ड का उपयोग पालिका द्वारा नैनी झील के सौन्दर्यीकरण में व्यय किया जायेगा।

(vi) इस उपविधि मे दिये गये अपराध किसी भी प्रकार से शमनीय नहीं होंगे।

शास्ति

अधिनियम की धारा 299 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके नगरपालिका, नैनीताल एतद्द्वारा निर्देश देती है कि इस उपविधि में दिये गये किसी भी प्राविधान के उल्लंघन होने पर जुर्माना जो रु० 1000/– (रुपया एक हजार मात्र) तक हो सकता है और निरन्तर उल्लंघन की दशा में अतिरिक्त जुर्माना जो प्रथम दोष सिद्ध होने की तिथि के पश्चात् प्रत्येक ऐसे दिवस के लिए जिससे यह साबित हो जाय कि अपराधी ने अपराध जारी रखा है, अंकन रु० 25/– (रुपया पच्चीस) तक हो सकता है।

ह0/– (अपठित)
अधिशासी अधिकारी,
नगरपालिका, नैनीताल।

ह0/– (अपठित)
प्रशासक,
नगरपालिका, नैनीताल।

पी०एस०यू० (आर०ई०) 21 हिन्दी गजट/351–भाग 8–2008 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।